महत्वपूर्ण/तत्काल

संख्या:5246/नौ-4-12-2नियम/05

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2- समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उ0प्र0।
3- समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 12 दिसम्बर, 2012

विषयः- उ0प्र0पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा संवर्ग के अधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः 2/113-शा/37-रिट/07 दिनांक : 20.03.2012 के संदर्भ में अवगत कराना है कि छठे वेतन आयोग, 2008 द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा के संबंध में की गई संस्तुतियों पर मा0 मंत्रि परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश सं0-1254/नौ-4-10-2नियम/05, दि0-22.4.2010 द्वारा उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए राजस्व सेवा के पदों का संवर्गीय ढांचा, पदनाम, वेतनमान व निकायवार संवर्ग के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। उक्त शासनादेश दि0-22.4.2010 द्वारा संवर्ग के पदों पर भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता तथा भर्ती की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

2- प्रदेश के समस्त नागर निकाय यथा नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद एवं नगर निगम क्रमशः "उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916" एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 से शासित होते हैं, जिसमें नगरीय स्थानीय निकायों के कार्मिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के संबंध में भी प्राविधान हैं। नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-5, 112, 116, 117 एवं 119 के अनुसार नगर आयुक्त, नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है तथा नगर आयुक्त अपनी कार्यकारी शक्तियों का नगर निगम कर्मचारियों में प्रतिनिधायन करके निगम के कार्य संपादित करते हैं। इसी प्रकार की शक्तियां उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय-5 व 6 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बोर्ड में निहित हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959" तथा " उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916" के उपरोक्त सुसंगत प्राविधानों में विहित व्यवस्था के अनुसार कृपया "उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) राजस्व सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित कराया जाये।

भवदीय,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव।

23-Anil G-O-2011

संख्याः 5246(1)/नौ-4-12-2नियम/05, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

(2) श्री मोहसिन, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन को इण्टरनेट प्रति हेतु।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
उप सचिव।

24-Anil G-O-2011